न्यायालय, समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

मद्यनिषेध और उत्पाद वाद संख्या–65 / 2017

राज्य बनाम राजीव कुमार

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख–सं 3.
27.7.2017	**आदेश** पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक–2278 / गो0, दिनांक 17.07.2017 के द्वारा अपराधकर्मी राजीव कुमार, पिता–अरूण साह, ग्राम–महद्दीपुर, थाना–पसराहा, जिला–खगड़िया को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–66 के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अपराधकर्मी के विरूद्ध निम्नलिखित अपराधिक मुकदमें उत्पाद एवं पसराहा थाना में दर्ज हैः– 01. खगड़िया उत्पाद वाद (पी0आर0) संख्या–13 / 2016 दिनांक 24.07.2016 धारा–47(ए) बिहार उत्पाद (अमेन्डमेन्ट) एक्ट 2016 02. पसराहा थाना कांड संख्या–141 / 2016 दिनांक 09.11.2016 धारा–30(ए) बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 । 03. पसराहा थाना दैनिकी प्रवृष्टि संख्या–112 दिनांक 05.05.2017 मुकदमें में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद एक्ट के धाराओं के तहत आरोपित है। Offence against property or Offence affecting human body से संबंधित कार्यो के द्वारा आदतन शराब कारोबारी है। चोरी छिपे शराब को रखने एवं बेचने की संभावना है, जिससे इलाके का माहौल बिगड़ने की संभावना है। थानाध्यक्ष, पसराहा के माध्यम से तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अभियुक्त उक्त दो कांड में जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा कभी भी जमानत का दुरूपयोग शराब रखने या बेचने में नहीं किया गया है। राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद अधिनियम) उपस्थित हुए तथा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–66 के तहत कार्रवाई करना उचित एवं न्यायसंगत बताया। प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास रहा है एवं मानसी थाना अर्न्तगत निरन्तर शराब रखने एवं बेचने के कारण मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 के अर्न्तगत वे आदतन की श्रेणी में आते हैं। इन्हें प्रथम बार खगड़िया उत्पाद वाद (पी0आर0) कांड संख्या–13 / 2016 में जुलाई 2016 में गिरफ्तार किया गया था परन्तु जमानत पर छुटने के पश्चात ये पुनः शराब के व्यापार में लगे रहे तथा पुनः पसराहा थाना कांड संख्या–141 / 2016 के अर्न्तगत माह नवम्बर 2016 में गिरफ्तार किए गए। इनके इस प्रकार के कृत्य से यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि ये भविष्य में भी शराब के कारोबार से संबंधित कृत्यों में लगे रह सकते हैं तथा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर सकते हैं। राजीव कुमार को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है तथा लिखित नोटिस द्वारा सूचना देकर स्पष्टीकरण देने हेतु समुचित अवसर	

<table>
<tr><th>आदेश की क्रम सं0 और तारीख
1.</th><th>आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
02.</th><th>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
3.</th></tr>
<tr><td></td><td>भी दिया गया है। उनके द्वारा समर्पित कारण पृच्छा तथ्यों से परे अतः इस कारण से अस्वीकार्य है

राजीव कुमार के कार्य वृत तथा अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं क्षेत्र में उनका गतिशील रहने की स्थिति में मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधानों के भंग होने की प्रबल संभावना है। उन्हें extern किये जाने से शांति स्थापित रहने की संभावना हेतु बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा–66(3)(क) अंतर्गत आदेश पारित करना नितान्त आवश्यक हो गया है।

अतः मैं जय सिंह, भा0प्र0से0, जिला समाहर्त्ता, खगड़िया मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 66(3)(क) के अन्तर्गत राजीव कुमार पे0–अरूण साह, साकिन–महद्दीपुर, थाना–पसराहा, जिला–खगड़िया का निर्दिष्ट दिनांक 30.07.2017 से अगले 6 (छः) माह तक खगड़िया राजस्व जिले की सीमा में प्रवेश प्रतिबंधित करता हूँ।

राजीव कुमार पे0–अरूण साह साकिन–महद्दीपुर थाना–पसराहा जिला खगड़िया को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 30.07.2017 से अगले 06(छः) माह तक अर्थात 30.01.2018 तक खगड़िया राजस्व जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेगें। बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 66(3)(क) के अर्न्तगत पारित इस आदेश का उल्लंधन किए जाने की दशा में धारा 70 के अर्न्तगत कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, खगड़िया द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

अधिनियम की धारा 68 के अर्न्तगत यह अनुमति प्रदान की जाती है कि न्यायालय वाद की सुनवाई में यदि राजीव कुमार की उपस्थिति की अपेक्षा न्यायालय द्वारा की जाती है तो उस तिथि विशेष को वे खगड़िया राजस्व जिले में प्रवेश कर सकते हैं परन्तु न्यायालय में उपस्थिति के 12 घंटों के समाप्त होने से पहले ही उन्हें जिले के सीमा से बाहर चले जाना होगा। इसके साथ ही ऐसे प्रत्येक आगमन की सूचना थानाध्यक्ष चित्रगुप्तनगर जिला खगड़िया में स्वयं उपस्थित होकर देनी होगी जिसका इन्द्राज स्टेशन डायरी में किया जाएगा। इस आदेश से थानाध्यक्ष पसराहा/थानाध्यक्ष चित्रगुप्तनगर/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी/पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को संसूचित कर दें।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, खगड़िया 27/7/17   समाहर्त्ता, खगड़िया 27/7/17</td><td></td></tr>
</table>